

Breach means failure of a party to perform his or her obligation under a contract. Breach of contract may arise in two ways.	उल्लंघन का अर्थ है किसी पक्ष द्वारा अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन करने में असफल होना। अनुबंध का उल्लंघन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है।
(1) Actual breach of contract	(1) संविदा का वास्तविक उल्लंघन
(2) Anticipatory breach of contract	(2) संविदा का पूर्वानुमानित उल्लंघन
5.1 ANTICIPATORY BREACH OF CONTRACT	5.1 अनुबंध का पूर्वानुमानित उल्लंघन
An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. When the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived, it is called Anticipatory Breach.	अनुमानित संविदा-भंग (Anticipatory Breach of Contract) वह संविदा-भंग है जो प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय आने से पहले ही हो जाता है। जब वचनदाता अपने वचन का पालन करने से पूर्णतः इंकार कर देता है और प्रदर्शन का समय आने से पहले ही अपनी अनिच्छा प्रकट कर देता है, तो इसे अनुमानित संविदा-भंग कहा जाता है।
Anticipatory breach of a contract may take either of the following two ways:	अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक प्रकार से हो सकता है:
(a) Expressly by words spoken or written, and	(a) स्पष्ट रूप से बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा, और
(b) Impliedly by the conduct of one of the parties.	(b) पक्षकारों में से किसी एक के आचरण द्वारा निहित रूप से।
Example 1: Where A contracts with B on 15th July, 2022 to supply 10 bales of cotton for a specified sum on 14th August, 2022 and on 30th July informs B, that he will not be able to supply the said cotton on 14th August, 2022, there is an express rejection of the contract.	उदाहरण 1: जहाँ A, B के साथ 15 जुलाई, 2022 को 14 अगस्त, 2022 को एक निश्चित राशि पर कपास की 10 गांठें आपूर्ति करने का अनुबंध करता है और 30 जुलाई को B को सूचित करता है कि वह उक्त कपास की आपूर्ति 14 अगस्त, 2022 को करने में सक्षम नहीं होगा, वहाँ अनुबंध का स्पष्ट अस्वीकार (Express Rejection) होता है।
Example 2: Where A agrees to sell his white horse to B for ₹ 50,000/- on 1st of August, 2022, but he sells this horse to C on 1st of August, 2022, the anticipatory breach has occurred by the conduct of the promisor.	उदाहरण 2: जहाँ A, B को अपना सफेद घोड़ा ₹ 50,000/- में 1 अगस्त, 2022 को बेचने के लिए सहमत होता है, लेकिन वह उसी घोड़े को 1 अगस्त, 2022 को C को बेच देता है, वहाँ वचनदाता के आचरण द्वारा प्रत्याशित अनुबंध-भंग हुआ माना जाएगा।
Section 39 of the Indian Contract Act deals with anticipatory breach of contract and provides as follows:	भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 39 संविदा के पूर्वानुमानित उल्लंघन से संबंधित है और निम्नलिखित प्रावधान करती है:
“When a party to a contract has refused to perform or disable himself	“जब किसी अनुबंध का कोई पक्षकार अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन करने

<p>from performing, his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract, unless he has signified, but words or conduct, his acquiescence in its continuance.”</p>	<p>से इंकार कर देता है या स्वयं को उसका पालन करने में असमर्थ बना लेता है, तो वचनग्रहिता उस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, जब तक कि उसने शब्दों या आचरण द्वारा उसके जारी रहने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त न की हो।”</p>
<p>Effect of anticipatory breach: The promisee is excused from performance or from further performance. Further he gets an option:</p>	<p>प्रत्याशित अनुबंध-भंग का प्रभाव: वचनग्राही को पालन करने या आगे के पालन से मुक्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे एक विकल्प प्राप्त होता है:</p>
<p>(1) To either treat the contract as ‘rescinded and sue the other party for damages for breach of contract immediately’ without waiting until the due date of performance or</p>	<p>(1) संविदा को ‘रद्द मानकर तथा दूसरी पक्ष के विरुद्ध संविदा के उल्लंघन के लिए तुरंत हर्जाने का दावा करना’, बिना निष्पादन की नियत तिथि की प्रतीक्षा किए।</p>
<p>(2) He may elect not to rescind but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance and then hold the other party responsible for the consequences of non-performance. But in this case, he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own, and the guilty party, if he so desires on re-consideration, may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract.</p>	<p>(2) वह संविदा को निरस्त न करने का चुनाव कर सकता है, बल्कि संविदा को अभी भी प्रभावी मानते हुए निष्पादन के समय की प्रतीक्षा कर सकता है और फिर दूसरी पक्ष को अनिष्पादन के परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। परंतु इस स्थिति में, वह संविदा को दूसरी पक्ष के लाभ के साथ-साथ अपने लाभ के लिए भी जीवित रखेगा, और दोषी पक्ष, यदि वह पुनर्विचार के बाद ऐसा चाहे, तो अभी भी संविदा के अपने भाग का पालन कर सकता है तथा किसी भी पश्चात्तर्वी असंभवता का लाभ भी उठा सकता है, जिसका प्रभाव संविदा को समाप्त करने का हो सकता है।</p>
<p>5.2 ACTUAL BREACH OF CONTRACT</p>	<p>5.2 अनुबंध का वास्तविक उल्लंघन</p>
<p>In contrast to anticipatory breach, it is a case of refusal to perform the promise on the scheduled date. The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises. But when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. In that case, the other party to the contract obtains a right of action against the one who has refused to perform his promise.</p>	<p>पूर्वानुमानित अनुबंध भंग के विपरीत, यह निर्धारित तिथि पर वचन का पालन करने से इंकार करने का मामला है। वैध अनुबंध के पक्षकार अपने-अपने वचनों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन जब पक्षकारों में से कोई एक अपने वचन का पालन करने से इंकार करके अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो कहा जाता है कि उसने अनुबंध भंग किया है। ऐसी स्थिति में, अनुबंध के दूसरे पक्षकार को उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसने अपने वचन का पालन</p>

	करने से इंकार किया है।
Actual breach of contract may be committed-	अनुबंध का वास्तविक उल्लंघन किया जा सकता है—
(a) At the time when the performance of the contract is due.	(क) उस समय जब अनुबंध का पालन किया जाना देय हो।
Example 3: A agrees to deliver 100 bags of sugar to B on 1st February 2022. On the said day, he failed to supply 100 bags of sugar to B. This is actual breach of contract. The breach has been committed by A at the time when the performance becomes due.	उदाहरण 3: A, B को 1 फरवरी 2022 को चीनी की 100 बोरियाँ देने के लिए सहमत होता है। उक्त दिन वह B को चीनी की 100 बोरियाँ देने में असफल रहता है। यह अनुबंध का वास्तविक उल्लंघन है। यह उल्लंघन A द्वारा उस समय किया गया है जब निष्पादन देय हो जाता है।
(b) During the performance of the contract: Actual breach of contract also occurs when during the performance of the contract, one party fails or refuses to perform his obligation under it by express or implied act.	(b) संविदा के निष्पादन के दौरान: वास्तविक संविदा-भंग तब भी होता है जब संविदा के निष्पादन के दौरान कोई एक पक्ष स्पष्ट या निहित कार्य द्वारा उसके अंतर्गत अपने दायित्व का पालन करने में असफल रहता है या उसे करने से इंकार कर देता है
5.3 SUIT FOR DAMAGES	5.3 हानि-पूर्ति के लिए वाद
The Act in Section 73, has laid down the rules as to how the amount of compensation is to be determined. On the breach of the contract, the party who suffers from such a breach is entitled to receive, from the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him by breach.	अधिनियम की धारा 73 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिकर की राशि किस प्रकार निर्धारित की जाएगी। संविदा के उल्लंघन होने पर, जिस पक्ष को ऐसे उल्लंघन से हानि होती है, वह उस पक्ष से, जिसने संविदा का उल्लंघन किया है, उल्लंघन के कारण उसे हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
Compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of events.	क्षतिपूर्ति किसी भी ऐसी हानि या नुकसान के लिए दावा की जा सकती है, जो सामान्य घटनाक्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है।
A compensation can also be claimed for any loss or damage which the party knew when they entered into the contract, as likely to result from the breach.	जब पक्षकारों ने अनुबंध में प्रवेश किया था, उस समय जिस हानि या नुकसान के अनुबंध भंग होने से होने की संभावना के बारे में उन्हें जानकारी थी, उसके लिए भी प्रतिकर का दावा किया जा सकता है।
That is to say, special damage can be claimed only on a previous notice. But the party suffering from the breach is bound to take reasonable steps to minimise the loss.	अर्थात्, विशेष क्षति का दावा केवल पूर्व सूचना पर ही किया जा सकता है। परन्तु अनुबंध के उल्लंघन से पीड़ित पक्ष हानि को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए बाध्य होता है।
No compensation is payable for any	किसी भी दूरस्थ या अप्रत्यक्ष हानि के

remote or indirect loss.	लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है।
(i) Ordinary damages: When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach or which the parties know, when they made the contract, to be likely to result from the breach of it.	(i) साधारण हर्जाना: जब किसी अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है, तब वह पक्ष जिसे ऐसे उल्लंघन से हानि होती है, उस पक्ष से जिसने अनुबंध का उल्लंघन किया है, उस हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जो ऐसे उल्लंघन से सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ हो अथवा जिसे अनुबंध करते समय दोनों पक्षों ने उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना के रूप में जाना हो।
Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reasons of the breach. (<i>Section 73 of the Contract Act and the rule in HADLEY vs. BAXENDALE</i>).	ऐसे किसी दूरस्थ और अप्रत्यक्ष हानि या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, जो अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुई हो। (संविदा अधिनियम की धारा 73 तथा HADLEY बनाम BAXENDALE के नियम के अनुसार)।
HADLEY vs. BAXENDALE: Facts	: तथ्य
The crankshaft of P's flour mill had broken. He gives it to D, a common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days where the new shaft was to be made. The mill stopped working. D delayed the delivery of the crankshaft so the mill remained idle for another 5 days. P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. Consequently, P sued D for damages not only for the delay in the delivering the broken part but also for loss of profits suffered by the mill for not having been worked. The court held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for the loss of profits because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill and it was not made known to him that the delay would result in loss of profits.	पी की आटा मिल का क्रैंकशाफ्ट टूट गया था। उसने उसे डी को दिया, जो एक सामान्य वाहक (कॉमन कैरियर) था। डी ने यह वादा किया कि वह उसे 2 दिनों के भीतर फाउंड्री तक पहुँचा देगा, जहाँ नया शाफ्ट बनाया जाना था। मिल का काम बंद हो गया। डी ने क्रैंकशाफ्ट पहुँचाने में देरी कर दी, जिससे मिल अतिरिक्त 5 दिनों तक बंद रही। पी को मरम्मत किया हुआ क्रैंकशाफ्ट 7 दिन बाद प्राप्त हुआ, जितना उसे सामान्यतः मिलना चाहिए था उससे 7 दिन अधिक देर से। परिणामस्वरूप, पी ने डी के विरुद्ध हर्जाने का दावा किया, न केवल टूटे हुए भाग की डिलीवरी में देरी के लिए बल्कि उस लाभ की हानि के लिए भी जो मिल के बंद रहने के कारण हुई थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पी केवल साधारण हर्जाने का ही अधिकारी था और डी लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि पी ने डी को केवल इतनी जानकारी दी थी कि ले जाया जाने वाला सामान मिल का टूटा हुआ शाफ्ट है, और उसे यह नहीं बताया गया था कि देरी के कारण लाभ की हानि होगी।
Example 4: A agrees to sell to B	उदाहरण 4: A, B को ₹ 5,000 प्रति बैग

<p>bags of rice at ₹ 5,000 per bag, delivery to be given after two months. On the date of delivery, the price of rice goes up to ₹ 5,500 per bag. A refuse to deliver the bags to B. B can claim from A ₹ 500 as ordinary damages arising directly from the breach.</p>	<p>की दर से चावल के बैग बेचने के लिए सहमत होता है, जिसकी डिलीवरी दो महीने बाद दी जानी है। डिलीवरी की तिथि पर चावल का मूल्य बढ़कर ₹ 5,500 प्रति बैग हो जाता है। A, B को बैग देने से इंकार कर देता है। B, अनुबंध के उल्लंघन से सीधे उत्पन्न साधारण हर्जाने के रूप में A से ₹ 500 का दावा कर सकता है।</p>
<p>(ii) Special damages: Where a party to a contract receives a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages.</p>	<p>(ii) विशेष हर्जाना: जहाँ किसी संविदा के पक्षकार को संविदा को प्रभावित करने वाली विशेष परिस्थितियों की सूचना प्राप्त हो जाती है, वहाँ वह केवल संविदा-भंग से स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले हर्जाने के लिए ही नहीं, बल्कि विशेष हर्जाने के लिए भी उत्तरदायी होगा।</p>
<p>Example 5: ‘A’ delivered a machine to ‘B’, a common carrier, to be conveyed to ‘A’s mill without delay. ‘A’ also informed ‘B’ that his mill was stopped for want of the machine. ‘B’ unreasonably delayed the delivery of the machine, and in consequence ‘A’ lost a profitable contract with the Government. In this case, ‘A’ is entitled to receive from ‘B’, by way of compensation, the average amount of profit, which would have been made by running the mill during the period of delay. But he cannot recover the loss sustained due to the loss of the Government contract, as ‘A’s contract with the Government was not brought to the notice of ‘B’.</p>	<p>उदाहरण 5: ‘A’ ने एक मशीन ‘B’ को, जो एक सामान्य वाहक था, बिना देरी के ‘A’ की मिल तक पहुँचाने के लिए दी। ‘A’ ने ‘B’ को यह भी बताया कि मशीन के अभाव में उसकी मिल बंद पड़ी है। ‘B’ ने अनुचित रूप से मशीन की डिलीवरी में देरी कर दी, जिसके परिणामस्वरूप ‘A’ सरकार के साथ एक लाभदायक अनुबंध खो बैठा। इस स्थिति में, ‘A’ को ‘B’ से क्षतिपूर्ति के रूप में उस औसत लाभ की राशि प्राप्त करने का अधिकार है, जो देरी की अवधि के दौरान मिल चलाने से प्राप्त होती। लेकिन वह सरकार के अनुबंध के खोने के कारण हुई हानि की वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के साथ ‘A’ के अनुबंध की जानकारी ‘B’ को नहीं दी गई थी।</p>
<p>(iii) Vindictive or Exemplary damages</p>	<p>(iii) प्रतिशोधात्मक या उदाहरणात्मक हर्जाना</p>
<p>These damages may be awarded only in two cases -</p>	<p>ये हर्जाने केवल दो मामलों में दिए जा सकते हैं —</p>
<p>(a) for breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings; and</p>	<p>(a) विवाह करने के वचन के उल्लंघन के लिए, क्योंकि इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है;</p>
<p>(b) for wrongful dishonour by a banker of his customer’s cheque because in this case the injury due to wrongful dishonour to the drawer of cheque is so heavy that it causes loss</p>	<p>(b) बैंकर द्वारा अपने ग्राहक के चेक का गलत अनादर (wrongful dishonour) किए जाने पर, क्योंकि इस स्थिति में चेक जारी करने वाले को गलत अनादर के कारण इतनी गंभीर क्षति</p>

<p>of credit and reputation to him. A business man whose credit has suffered will get exemplary damages even if he has sustained no pecuniary loss. But a no-trader cannot get heavy damages in the like circumstances, unless the damages are alleged and proved as special damages. (<i>Gibbons v West Minister Bank</i>)</p>	<p>होती है कि उसकी साख और प्रतिष्ठा को हानि पहुँचती है। जिस व्यवसायी की साख को नुकसान पहुँचा हो, वह उदाहरणात्मक हर्जाना (exemplary damages) प्राप्त कर सकता है, भले ही उसे कोई आर्थिक हानि न हुई हो। परन्तु कोई गैर-व्यवसायी समान परिस्थितियों में भारी हर्जाना प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि हानि को विशेष हानि (special damages) के रूप में आरोपित और सिद्ध न किया जाए।</p>
<p>(iv) Nominal damages: Nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage. It is awarded just to establish the right to decree for the breach of contract. The amount may be a rupee or even 10 paise.</p>	<p>(iv) नाममात्र हर्जाना: नाममात्र हर्जाना वहाँ प्रदान किया जाता है जहाँ वादी यह सिद्ध कर देता है कि संविदा का उल्लंघन हुआ है, परन्तु वास्तव में उसे कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। यह केवल संविदा के उल्लंघन के लिए डिक्री पाने के अधिकार को स्थापित करने हेतु दिया जाता है। इसकी राशि एक रुपया या यहाँ तक कि 10 पैसे भी हो सकती है।</p>
<p>(v) Damages for deterioration caused by delay: In the case of deterioration caused to goods by delay, damages can be recovered from carrier even without notice. The word 'deterioration' not only implies physical damages to the goods but it may also mean loss of special opportunity for sale.</p>	<p>(v) विलंब के कारण हुई क्षति के लिए हर्जाना: विलंब के कारण वस्तुओं में हुई क्षति के मामले में, बिना सूचना दिए भी वाहक से हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है। 'क्षति' शब्द का अर्थ केवल वस्तुओं को हुई भौतिक हानि ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बिक्री के विशेष अवसर की हानि भी हो सकता है।</p>
<p>(vi) Pre-fixed damages: Sometimes, parties to a contract stipulate at the time of its formation that on a breach of contract by any of them, a certain amount will be payable as damage. It may amount to either liquidated damages (i.e., a reasonable estimate of the likely loss in case of breach) or a penalty (i.e., an amount arbitrarily fixed as the damages payable). Section 74 provides that if a sum is named in a contract as the amount to be paid in case of a breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named (Section 74).</p>	<p>(vi) पूर्व-निर्धारित हर्जाना: कभी-कभी, अनुबंध के पक्षकार उसके निर्माण के समय यह निर्धारित कर लेते हैं कि उनमें से किसी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक निश्चित राशि हर्जाने के रूप में देय होगी। यह या तो परिसमाप्त हर्जाना (अर्थात् उल्लंघन की स्थिति में संभावित हानि का युक्तिसंगत अनुमान) हो सकता है या दंड (अर्थात् हर्जाने के रूप में देय मनमाने ढंग से निर्धारित राशि) हो सकता है। धारा 74 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी अनुबंध में उल्लंघन की स्थिति में देय राशि का उल्लेख किया गया है, तो पीड़ित पक्ष दोषी पक्ष से उस निर्दिष्ट राशि से अधिक न होने वाला युक्तिसंगत प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा (धारा 74)।</p>
<p>Example 6: If the penalty provided</p>	<p>उदाहरण 6: यदि अनुबंध द्वारा निर्धारित</p>

<p>by the contract is ₹ 1,00,000 and the actual loss because of breach is ₹ 70,000, only ₹ 70,000 shall be available as damages, i.e., the amount of actual loss and not the amount stipulated. But if the loss is, say, ₹ 1,50,000, then only, ₹ 1,00,000 shall be recoverable.</p>	<p>दंड ₹1,00,000 है और अनुबंध-भंग के कारण वास्तविक हानि ₹70,000 है, तो केवल ₹70,000 ही हर्जाने के रूप में उपलब्ध होगा, अर्थात वास्तविक हानि की राशि, न कि निर्धारित की गई राशि। लेकिन यदि हानि, मान लीजिए, ₹1,50,000 है, तब केवल ₹1,00,000 ही वसूल किया जा सकेगा।</p>
<p>Example 7: X promised Y, a priest, to pay ₹ 10,000 as charity. The priest on X's promise incurred certain liabilities towards the repairing of the temple to the extent of ₹ 7,500. Y the priest can recover from X ₹ 7,500.</p>	<p>उदाहरण 7: X ने Y, जो एक पुजारी था, को दान के रूप में ₹10,000 देने का वचन दिया। X के वचन पर विश्वास करके पुजारी ने मंदिर की मरम्मत के लिए ₹7,500 तक की कुछ देनदारियाँ उठा लीं। पुजारी Y, X से ₹7,500 वसूल कर सकता है।</p>
<p>5.4 PENALTY AND LIQUIDATED DAMAGES (SECTION 74)</p>	<p>5.4 दण्ड और पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (धारा 74)</p>
<p>The parties to a contract may provide beforehand, the amount of compensation payable in case of failure to perform the contract. In such cases, the question arises whether the courts will accept this figure as the measure of damage.</p>	<p>संविदा के पक्षकार पहले से ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि संविदा का पालन न होने की स्थिति में कितनी क्षतिपूर्ति देय होगी। ऐसे मामलों में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या न्यायालय इस राशि को हानि के माप के रूप में स्वीकार करेंगे।</p>
<p>English Law: According to English law, the sum so fixed in the contract may be interpreted either as liquidated damages or as a penalty.</p>	<p>अंग्रेजी विधि: अंग्रेजी विधि के अनुसार, अनुबंध में इस प्रकार निर्धारित राशि को या तो पूर्व-निर्धारित हर्जाना (Liquidated Damages) या दण्ड (Penalty) के रूप में माना जा सकता है।</p>
<p>If the sum fixed in the contract represents a genuine pre-estimate by the parties of the loss, which would be caused by a future breach of the contract it is liquidated damages. It is assessed by the amount which in the opinion of the parties will compensate for the breach. Such a clause is effective and the amount is recoverable. But where the sum fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract it is penalty. Such a clause is disregarded and the injured party cannot recover more than the actual loss.</p>	<p>यदि अनुबंध में निर्धारित राशि, अनुबंध के भविष्य में होने वाले उल्लंघन से होने वाली हानि का पक्षकारों द्वारा किया गया वास्तविक पूर्व-अनुमान दर्शाती है, तो उसे परिसमापित हर्जाना कहा जाता है। इसका आकलन उस राशि के आधार पर किया जाता है जो पक्षकारों की राय में उल्लंघन की क्षतिपूर्ति करेगी। ऐसी शर्त प्रभावी होती है और वह राशि वसूल की जा सकती है। लेकिन जहाँ अनुबंध में निर्धारित राशि अनुचित हो तथा दूसरे पक्ष को अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से रखी गई हो, वहाँ उसे दंड कहा जाता है। ऐसी शर्त की उपेक्षा की जाती है और पीड़ित पक्ष वास्तविक हानि से अधिक राशि वसूल</p>

	नहीं कर सकता।
<p>Indian Law: Indian law makes no distinction between ‘penalty’ and liquidated damages’. The Courts in India award only a reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract. Section 74 of the Contract Act lays down if the parties have fixed what the damages will be, the courts will never allow more. But the court may allow less. A decree is to be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realise anything by way of penalty.</p>	<p>भारतीय विधि : भारतीय विधि ‘दण्ड’ (Penalty) और पूर्व-निर्धारित हर्जाना (Liquidated Damages) के बीच कोई भेद नहीं करती है। भारत में न्यायालय केवल उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं, जो अनुबंध में उल्लिखित राशि से अधिक नहीं हो सकती। अनुबंध अधिनियम की धारा 74 यह निर्धारित करती है कि यदि पक्षकारों ने हर्जाने की राशि पहले से निश्चित कर दी है, तो न्यायालय उससे अधिक राशि कभी प्रदान नहीं करेगा। परन्तु न्यायालय उससे कम राशि प्रदान कर सकता है। डिक्री केवल उचित क्षतिपूर्ति के लिए ही पारित की जाएगी, जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार, धारा 74 अनुबंध भंग की शिकायत करने वाले व्यक्ति को उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार देती है और उसे दण्ड के रूप में कोई राशि वसूल करने का अधिकार नहीं देती।</p>
<p>Exception: Where any person gives any bond to the Central or State government for the performance of any public duty or act in which the public are interested, on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein.</p>	<p>अपवाद: जहाँ कोई व्यक्ति किसी लोक कर्तव्य या ऐसे कार्य के पालन के लिए, जिसमें जनता की रुचि हो, केंद्र या राज्य सरकार को कोई बंधपत्र देता है, वहाँ ऐसे किसी लिखत की शर्त के उल्लंघन पर वह उसमें उल्लिखित पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p>
<p>Example 8: A contracts with B, that if A practices as a surgeon in Kolkata, he will pay B ₹ 50,000. A practice as a surgeon at Kolkata. B is entitled to such compensation not exceeding ₹ 50,000 as the court considers reasonable.</p>	<p>उदाहरण 8: A, B के साथ अनुबंध करता है कि यदि A कोलकाता में शल्य चिकित्सक के रूप में कार्य करेगा, तो वह B को ₹ 50,000 देगा। A ने कोलकाता में शल्य चिकित्सक के रूप में कार्य किया। B ऐसी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है, जो ₹ 50,000 से अधिक न हो और जिसे न्यायालय उचित समझे।</p>
<p>Example 9: A borrows ₹ 10,000 from B and gives him a bond for ₹ 20,000 payable by five yearly instalments of ₹ 4,000 with a stipulation that in default of payment, the whole shall become due. This is a stipulation by way of penalty.</p>	<p>उदाहरण 9: ए, बी से ₹10,000 उधार लेता है और उसे ₹20,000 का एक बांड देता है, जो ₹4,000 की पाँच वार्षिक किश्तों में देय है, इस शर्त के साथ कि भुगतान में चूक होने पर पूरी राशि देय हो जाएगी। यह दण्ड के रूप में लगाई गई एक शर्त है।</p>
<p>Example 10: A undertakes to repay B, a loan of ₹ 10,000 by five equal monthly instalments with a</p>	<p>उदाहरण 10: A, B को ₹ 10,000 का ऋण पाँच समान मासिक किश्तों में चुकाने का वचन देता है, इस शर्त के</p>

<p>stipulation that in default of payment of any instalment, the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to its terms.</p>	<p>साथ कि यदि किसी किश्त के भुगतान में चूक होती है, तो पूरी राशि देय हो जाएगी। यह शर्त दण्ड के रूप में नहीं है और अनुबंध को उसकी शर्तों के अनुसार प्रवर्तित किया जा सकता है।</p>
<p>Distinction between liquidated damages and penalty</p>	<p>परिनिश्चित हर्जाना और दण्ड के बीच अंतर</p>
<p>Penalty and liquidated damages have one thing in common that both are payable on the occurrence of a breach of contract. It is very difficult to draw a clear line of distinction between the two but certain principles as laid down below may be helpful.</p>	<p>दण्ड और पूर्व-निर्धारित हर्जाना में एक समानता यह है कि दोनों ही संविदा के उल्लंघन होने पर देय होते हैं। दोनों के बीच स्पष्ट भेद रेखा खींचना बहुत कठिन है, किन्तु नीचे बताए गए कुछ सिद्धांत इस संबंध में सहायक हो सकते हैं।</p>
<p>1. If the sum payable is so large as to be far in excess of the probable damage on breach, it is certainly a penalty.</p>	<p>1. यदि देय राशि इतनी अधिक हो कि वह अनुबंध भंग होने पर संभावित हानि से बहुत अधिक हो, तो वह निश्चित रूप से दण्डात्मक राशि (Penalty) है।</p>
<p>2. Where a sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made, the latter sum is a penalty because mere delay in payment is unlikely to cause damage.</p>	<p>2. जहाँ किसी राशि को एक निश्चित तिथि पर देय बताया गया हो और भुगतान में चूक होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि देय हो, वहाँ वह अतिरिक्त राशि दण्ड मानी जाती है क्योंकि केवल भुगतान में देरी से क्षति होने की संभावना नहीं होती।</p>
<p>3. The expression used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract is in truth a penalty or liquidated damages. If the sum fixed is extravagant or exorbitant, the court will regard it as a penalty even if, it is termed as liquidated damages in the contract.</p>	<p>3. पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति अंतिम नहीं होती। न्यायालय को यह पता लगाना होता है कि अनुबंध में निर्धारित राशि वास्तव में दंड है या पूर्व-निर्धारित हर्जाना। यदि निर्धारित राशि अत्यधिक या अनुचित रूप से अधिक है, तो न्यायालय उसे दंड मानेगा, भले ही अनुबंध में उसे पूर्व-निर्धारित हर्जाना कहा गया हो।</p>
<p>4. The essence of a penalty is payment of money stipulated as a terrorem of the offending party. The essence of liquidated damages is a genuine pre-estimate of the damage.</p>	<p>4. दण्ड का सार यह है कि यह दोषी पक्ष को भयभीत करने के लिए निर्धारित धनराशि का भुगतान है। परिसमाप्त हर्जाने का सार यह है कि यह क्षति का वास्तविक पूर्व-अनुमान होता है।</p>
<p>5. English law makes a distinction between liquidated damages and penalty, but no such distinction is followed in India. The courts in India must ascertain the actual loss and award the same which amount must not, however exceed the sum so fixed in the contract. The courts have not to bother about the</p>	<p>5. अंग्रेजी कानून परिसमाप्त हर्जाना और दण्ड के बीच भेद करता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई भेद नहीं माना जाता है। भारत में न्यायालयों को वास्तविक हानि का निर्धारण करके उसी के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होती है, परंतु यह राशि अनुबंध में निर्धारित राशि से अधिक नहीं हो सकती। न्यायालयों</p>

<p>distinction but to award reasonable compensation not exceeding the sum so fixed.</p>	<p>को इस भेद की चिंता नहीं करनी होती, बल्कि उन्हें ऐसी युक्तिसंगत क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होती है जो अनुबंध में निर्धारित राशि से अधिक न हो।</p>
<p>Besides claiming damages as a remedy for the breach of contract, the following remedies are also available:</p>	<p>अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित उपचार भी उपलब्ध हैं:</p>
<p>(i) Rescission of contract: When a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. In such a case, he is absolved of all his obligations under the contract and is entitled to compensation for any damages that he might have suffered.</p>	<p>(i) अनुबंध का निरसन: जब किसी अनुबंध का उल्लंघन एक पक्ष द्वारा किया जाता है, तो दूसरा पक्ष उस अनुबंध को निरस्त मान सकता है। ऐसी स्थिति में वह अनुबंध के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है और उसे उस किसी भी हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है जो उसे हुई हो।</p>
<p>Example 11: A promises B to deliver 50 bags of cement on a certain day. B agrees to pay the amount on receipt of the goods. A failed to deliver the cement on the appointed day. B is discharged from his liability to pay the price.</p>	<p>उदाहरण 11: A, B से वादा करता है कि वह एक निश्चित दिन 50 बोरी सीमेंट की आपूर्ति करेगा। B, माल प्राप्त होने पर राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। A, निर्धारित दिन पर सीमेंट की आपूर्ति करने में असफल रहता है। B, मूल्य का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।</p>
<p>(ii) Quantum Meruit: Where one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay. <i>Quantum Meruit</i> i.e. as much as the party doing the service has deserved. It covers a case where the party injured by the breach had at time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done. For the application of this doctrine, two conditions must be fulfilled:</p>	<p>(ii) क्वॉंटम मेरिट: जहाँ एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियों में सेवा प्रदान की हो, जो यह दर्शाती हों कि उनके बीच यह समझ थी कि उस सेवा के लिए भुगतान किया जाएगा, यद्यपि किसी विशेष पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया गया हो, वहाँ विधि भुगतान करने का वचन अनुमानित कर लेती है। क्वॉंटम मेरिट अर्थात् जितना सेवा करने वाला पक्ष पाने का अधिकारी है। यह उस स्थिति को सम्मिलित करता है जहाँ अनुबंध के उल्लंघन से पीड़ित पक्ष ने उल्लंघन के समय तक उस कार्य का कुछ भाग, परन्तु सम्पूर्ण कार्य नहीं किया हो, जिसे वह अनुबंध के अंतर्गत करने के लिए बाध्य था, और वह किए गए कार्य के मूल्य के लिए प्रतिकर प्राप्त करना चाहता हो। इस सिद्धांत के लागू होने के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:</p>
<p>(1) It is only available if the original contract has been discharged.</p>	<p>(1) यह केवल तभी उपलब्ध होता है जब मूल अनुबंध समाप्त हो चुका हो।</p>

<p>(2) The claim must be brought by a party not in default.</p>	<p>(2) दावा उस पक्ष द्वारा लाया जाना चाहिए जो दोषी न हो।</p>
<p>The object of allowing a claim on quantum meruit is to recompense the party or person for value of work which he has done. Damages are compensatory in nature while quantum meruit is restitutory. It is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate. Where a person orders only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy, and the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy.</p>	<p>क्वांटम मेरिट के आधार पर दावा स्वीकार करने का उद्देश्य उस पक्ष या व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य के मूल्य के लिए प्रतिपूर्ति करना है। हर्जाना प्रतिपूरक प्रकृति का होता है, जबकि क्वांटम मेरिट पुनर्स्थापनात्मक होता है। यह केवल अनुबंध के निहितार्थ पर पारिश्रमिक देने हेतु प्रदान किया गया उचित प्रतिकर है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी मदिरा विक्रेता से केवल व्हिस्की की 12 बोतलों का आदेश देता है, लेकिन साथ ही उसे ब्रांडी की 2 बोतलें भी प्राप्त होती हैं, और क्रेता उन्हें स्वीकार कर लेता है, वहाँ क्रेता को ब्रांडी के लिए उचित मूल्य का भुगतान करना होगा।</p>
<p>The claim for quantum meruit arises in the following cases:</p>	<p>क्वांटम मेरिट के लिए दावा निम्नलिखित मामलों में उत्पन्न होता है:</p>
<p>(a) When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void.</p>	<p>(a) जब किसी समझौते को शून्य पाया जाता है या जब कोई अनुबंध शून्य हो जाता है।</p>
<p>(b) When something is done without any intention to do so gratuitously.</p>	<p>(b) जब कोई कार्य बिना किसी निःशुल्क करने के इरादे के किया जाता है।</p>
<p>(c) Where there is an express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration.</p>	<p>(c) जहाँ सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्पष्ट या निहित अनुबंध हो, लेकिन पारिश्रमिक के संबंध में कोई समझौता न हो।</p>
<p>(d) When one party abandons or refuses to perform the contract.</p>	<p>(d) जब एक पक्ष अनुबंध को त्याग देता है या उसका पालन करने से इंकार कर देता है।</p>
<p>(e) Where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of part performance.</p>	<p>"(e) जहाँ कोई अनुबंध विभाज्य हो और दोषी न होने वाले पक्ष ने आंशिक निष्पादन का लाभ प्राप्त कर लिया हो।"</p>
<p>(f) When an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly the person who has performed the contract can claim the lump sum, but the other party can make a deduction for bad work.</p>	<p>(f) जब एक अविभाज्य अनुबंध को एकमुश्त राशि के लिए पूर्ण रूप से किया जाता है, लेकिन कार्य खराब तरीके से किया गया हो, तब अनुबंध का पालन करने वाला व्यक्ति एकमुश्त राशि का दावा कर सकता है, परंतु दूसरी पक्ष खराब कार्य के लिए कटौती कर सकता है।</p>
<p>Example 12: X wrongfully revoked Y's (his agent's) authority before Y could complete his duties. Held Y</p>	<p>उदाहरण 12: X ने Y (अपने अभिकर्ता) के अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पहले</p>

<p>could recover, as a quantum meruit, for the work he had done and the expenses he had incurred in the course of his duties as an agent.</p>	<p>ही उसकी अधिकारिता को गलत तरीके से रद्द कर दिया। निर्णय हुआ कि Y अपने द्वारा किए गए कार्य तथा अभिकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए खर्चों के लिए क्वॉंटम मेरिट के आधार पर वसूली कर सकता है।</p>
<p>Example 13: A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of ₹ 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in two instalments of 50 each. A delivered the first instalment but failed to supply the second. B must pay for 50 bags.</p>	<p>उदाहरण 13: A, B को ₹1000 प्रति गांठ की कीमत पर कपास की 100 गांठें देने के लिए सहमत होता है। कपास की गांठों की डिलीवरी 50-50 की दो किशतों में की जानी थी। A ने पहली किशत की डिलीवरी कर दी, लेकिन दूसरी की आपूर्ति करने में असफल रहा। B को 50 गांठों का भुगतान करना होगा।</p>
<p>(iii) Suit for specific performance: Where damages are not an adequate remedy in the case of breach of contract, the court may in its discretion on a suit for specific performance direct party in breach, to carry out his promise according to the terms of the contract.</p>	<p>(iii) विशिष्ट पालन हेतु वाद: जहाँ संविदा के उल्लंघन के मामले में हर्जाना पर्याप्त उपचार नहीं होता, वहाँ न्यायालय अपने विवेकाधिकार से विशिष्ट पालन हेतु वाद में उल्लंघन करने वाले पक्ष को संविदा की शर्तों के अनुसार अपने वचन का पालन करने का निर्देश दे सकता है।</p>
<p>(iii) Suit for specific performance: Where damages are not an adequate remedy in the case of breach of contract, the court may in its discretion on a suit for specific performance direct party in breach, to carry out his promise according to the terms of the contract.</p>	<p>(iii) विशिष्ट पालन के लिए वाद: जहाँ अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में हर्जाना पर्याप्त उपचार नहीं होता है, वहाँ न्यायालय अपने विवेकाधिकार से विशिष्ट पालन के वाद में उल्लंघन करने वाले पक्ष को अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने वचन का पालन करने का निर्देश दे सकता है।</p>
<p>Example 14: N, a film star, agreed to act exclusively for a particular producer, for one year. During the year she contracted to act for some other producer. Held, she could be restrained by an injunction.</p>	<p>उदाहरण 14: एन, एक फिल्म स्टार, ने एक विशेष निर्माता के लिए एक वर्ष तक केवल उसी के लिए कार्य करने का समझौता किया। वर्ष के दौरान उसने किसी अन्य निर्माता के लिए कार्य करने का अनुबंध कर लिया। निर्णय हुआ कि उसे निषेधाज्ञा द्वारा रोका जा सकता है।</p>
<p>Example 15: A, a singer, agreed with B to perform at his theatre for two months, on a condition that during that period, he would not perform anywhere. In this case, B could move to the Court for grant of injunction restraining A from performing in other places.</p>	<p>उदाहरण 15: ए, एक गायक, ने बी के साथ उसके थिएटर में दो महीने तक प्रदर्शन करने का समझौता किया, इस शर्त पर कि उस अवधि के दौरान वह कहीं और प्रदर्शन नहीं करेगा। इस मामले में, बी न्यायालय में वाद दायर कर ए को अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता था।</p>

~~~~~

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Party rightfully rescinding contract, entitled to compensation (Section 75)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>संविदा को विधिपूर्वक निरस्त करने वाला पक्ष क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है (धारा 75)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfilment of the contract.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>जो व्यक्ति विधिपूर्वक किसी संविदा को निरस्त करता है, वह संविदा के पालन न होने के कारण हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर पाने का अधिकारी होता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Example 16:</b> A, a singer, contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for two nights in every week during the next two months, and B engages to pay her ₹ 1000 for each night's performance. On the sixth night, A wilfully absents herself from the theatre, and B, in consequence, rescinds the contract. B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfilment of the contract.</p> | <p><b>उदाहरण 16:</b> A, एक गायिका, B जो एक थिएटर का प्रबंधक है, के साथ यह अनुबंध करती है कि वह अगले दो महीनों तक प्रत्येक सप्ताह दो रात उसके थिएटर में गाएगी, और B प्रत्येक रात के प्रदर्शन के लिए उसे ₹1000 देने का वचन देता है। छठी रात को A जानबूझकर थिएटर से अनुपस्थित रहती है, और परिणामस्वरूप B अनुबंध को निरस्त कर देता है। B उस क्षति के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है, जो उसे अनुबंध के पालन न होने के कारण हुई है।</p> |

~~~~~